

जीवनदायी नदी गंगा: प्रदूषण एवं संरक्षण

यह एडिटरियल 17/04/2021 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख "River of life" पर आधारित है। इसमें गंगा नदी में प्रदूषण के कारण और इससे नपिटने के लिये किये जा रहे उपायों पर चर्चा की गई है।

हाल ही में भारत में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला 'कुंभ' आयोजित किया गया तथा इस मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिये एकत्र हुए। प्राचीन काल से कुंभ मेला विभिन्न मान्यताओं, प्रथाओं, दर्शन और विचारधाराओं के सम्मेलन स्थल का प्रतीक रहा है।

दुर्भाग्य से समय के साथ आबादी में वृद्धि, अनियोजित औद्योगिकरण और असंवहनीय कृषि प्रथाओं के कारण गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में प्रदूषक तत्त्वों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

हालाँकि, फ्लैगशिप परियोजना 'नमामि गंगे' के क्रियान्वयन के बाद धीरे-धीरे गंगा नदी में प्रदूषण काफी कम हो गया है। इस परियोजना के तहत सार्वजनिक नीतियों, प्रौद्योगिकी का प्रयोग एवं सामुदायिक भागीदारी को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है।

नमामि गंगे परियोजना:

- यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था।
- सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से की गई थी।
- इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

गंगा नदी के प्रदूषण होने का कारण

- **शहरीकरण:** हाल के दशकों में भारत में तेजी से हुए शहरीकरण के कारण कई पर्यावरणीय समस्याएँ, जैसे- जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल और इसका एक स्थान पर जमा होना साथ ही, इसके उपचार और नपिटान जैसे समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। गंगा नदी के तट पर बसे कई शहरों एवं कस्बों के लोगों एवं प्रशासन ने शहर से निकासित होने वाले अपशिष्ट जल, सीवरेज आदिकी समस्या के बारे में गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया है।
- **उद्योग:** गंगा में सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्टों के अप्रबंधित एवं अनियोजित प्रवाह के कारण इसके जल की शुद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जल में घुले ये औद्योगिक अपशिष्ट नदियों के जल का उपयोग करने वाले सभी जीवों के लिये हानिकारक हैं।
 - पेपर मिल्स, स्टील प्लांट्स, टेक्सटाइल और चीनी उद्योगों से भी काफी मात्रा में अपशिष्ट जल का निकासन नदियों के जल में होता है।
- **कृषि अपवाह और अनुचित कृषि प्रथाएँ:** कृषि के दौरान अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण मट्टी में घुले हुए उर्वरक एवं कीटनाशक वर्षा-जल के साथ निकटतम जल निकायों में पहुँच जाते हैं।
- **जल निकासी की व्यवस्था:** गंगा में न्यूनतम प्रवाह के अध्ययन पर जल संसाधन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, नदी के जल की गुणवत्ता पर उपचारित या अनुपचारित अपशिष्ट जल के निकास का प्रभाव नदी के प्रवाह पर नरिभर करता है। ज्ञातव्य है कि गंगा नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसमें जल की मात्रा कम हो जाती है और इसका न्यूनतम प्रवाह बाधित होता है। उदाहरण के लिये, ऊपरी गंगा नहर और नचिली गंगा नहर के कारण गंगा की नचिली धाराएँ लगभग सूखने लगी हैं।
- **धार्मिक और सामाजिक आचरण:** धार्मिक आस्था और सामाजिक प्रथाएँ भी गंगा नदी में प्रदूषण को बढ़ाने के लिये ज़िम्मेदार हैं।
 - नदी किनारे शवों का अंतिम संस्कार एवं आंशिक रूप से जले हुए शव नदी में बहाना, धार्मिक त्योहारों के दौरान लोगों का बड़ी संख्या में नदी में स्नान करना पर्यावरणीय रूप से हानिकारक प्रथाएँ हैं। ये प्रथाएँ नदी के जल को प्रदूषित करती हैं और जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिये उठाए गए कदम

- **सार्वजनिक नीति:** वर्ष 2016 में सरकार ने राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मशिन (एनएमसीजी) को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हुए अधिसूचना जारी की।
 - एनएमसीजी ने नदी तटों पर खनन गतिविधियों को नयितरति करने, अतिक्रमण को रोकने और मूरतियों के वसिर्जन जैसी गतिविधियों को वनियमति करने के नरिदेश भी जारी कयि।
- **प्रौद्योगिकी का प्रयोग:** एनएमसीजी ने उपग्रह इमेज़री, रमोट सेंसिगि और भू-स्थानकि समाधान जैसी अत्याधुनकि तकनीकों को अपनाया है, जसिसे वास्तवकि समय में गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषकों की नगिरानी की जा सकती है।
 - सीवेज उपचार हेतु नए बुनयादी ढाँचे को डज़िाइन करने के लयि वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमानति मॉडल तैयार कयि हैं।
- **सामुदायकि भागीदारी:** गंगा नदी की सफाई हेतु सामुदायकि भागीदारी को प्रोत्साहति करने के लयि गंगा तट पर बसे शहरों, गाँवों एवं कस्बों में "गंगा प्रहरी" नामक नव-स्थापति समुदाय समूह के माध्यम से जागरुकता अभयान नयिमति रूप से चलाया जा जा रहा है। उनके माध्यम से, सरकार "जल चेतना" को "जन चेतना" एवं पुनः इसे "जल आंदोलन" में बदल सकती है।

नषिकर्ष

भारत का संवधान, केंद्र और राज्य सरकारों को इसके नागरिकों के लयि स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। (अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51 (A) (g), अनुच्छेद 21)। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मौलकि अधिकार है।

इस संदर्भ में नमामागिंगे परयिोजना गंगा नदी को साफ करने के लयि सही दशिा में उठाया गया एक कदम है एवं भारत की अन्य नदियों में प्रदूषण से नपिटने के लयि इस परयिोजना का अनुकरण कयि जाना चाहयि।

अभयास प्रश्न: नमामागिंगे परयिोजना गंगा नदी को साफ करने के लयि सही दशिा में उठाया गया एक कदम है। भारत की अन्य नदियों में प्रदूषण से नपिटने के लयि इस परयिोजना का अनुकरण कयि जाना चाहयि। चर्चा करें।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/cleaning-ganga>

